

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 — आश्विन 17, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक-08/चार/वि. स. उप निर्वाचन/24-मरवाही/2020/2566. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या -100/पूर्व अनु.-1/छ. ग.-वि. स./01/2020, दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 द्वारा छ. ग. राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही (अजजा) के लिये विधान सभा उप निर्वाचन-2020 निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 9 अक्टूबर 2020 — 17 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

संख्या 100/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि. स./01/2020 .— यतः छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा में 24-मरवाही (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री अजित जोगी के आकस्मिक निधन हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 29 मई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

अ. छत्तीसगढ़ राज्य से उक्त 24-मरवाही (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्विनिर्देश बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (बृहस्पतिवार) से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले, एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित करे;

आ. उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :-

क.	नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	:	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार),
ख.	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार),
ग.	अभ्यर्थिताए वापस लेने की अंतिम तारीख	:	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार),
घ.	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	3 नवम्बर, 2020 (मंगलवार),
ङ.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	12 नवम्बर, 2020 (बृहस्पतिवार),

नियत करता है; और

इ. 8.00 बजे पूर्वान्ह से 6.00 बजे अपरान्ह तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 9th October, 2020 — 17 Asvina, 1942 (saka)

NOTIFICATION

No. 100/ES-I/CG-LA/01/2020.— WHEREAS, the seat of Shri Ajit Jogi, in the Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh, elected from 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 29th May, 2020 by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh, to elect, before 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election :-

- a. the 16th October, 2020 (Friday), as the last date for making nominations,
- b. the 17th October, 2020 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations,
- c. the 19th October, 2020 (Monday), as the last date for withdrawal of candidatures,
- d. the 3rd November, 2020 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- e. the 12th November, 2020 (Thursday), as the date before which the election shall be completed, and

(C) fixes the hours from 8:00 AM to 6:00 PM as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
Senior Principal Secretary.